न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी– रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व वादः– 04/2022

वादी–

1. ओम प्रकाश बावरी पुत्र श्री शैतानराम जाति बावरी निवारी सोनेली तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. शैतानराम पुत्र मानाराम
2. सुरेश बावरी पुत्र शैतानराम
3. शारदा पुत्री शैतानराम
4. सुमित्रा बावरी पुत्री शैतानराम
समस्त जातियान बावरी निवासी सोनेली तहसील जायल जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा प्रतिवादी 1 से 4 कि ओर से।
3. प्रतिवादी सं. 5 राजपैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) *

वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– : : निर्णय : :–

दिनांक : 07/01/2022

मुकदमानं. 04/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी जमीन मौजा सोनेली के खसरा नं. 497 रकबा 1.3436 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक बटवाड़ा सम्वत 2074 की आखातीज को कर लिया। वादी संख्या 1 औमप्रकाश बावरी व प्रतिवादी सं. 1 शैतानराम, प्रतिवादी सं. 2 सुरेश वावरी के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा सोनेली के खसरा नं. 497 रकबा 1.3436 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा गया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उक्त भूमि के बदले नगदी व आभूषण व शादी विवाह करने व ससूराल में जमीन होने से, उक्त भूमि में कोई हक बंट नहीं रखा गया है। जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 04.01.2022 को न्यायालय हाजा में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी कि पहचान अधिवक्ता श्री

07/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

गोविन्द राम ढाका ने कि तथा प्रतिवादीगण 1 से 4 कि पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं राजपैरोकार के रूप में उपस्थित, जो वादपत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है, राजहित सुरक्षित रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु (तनकियात) की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत कि गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र पेश हुवे, नकल जमाबन्दी ग्राम सोनेली तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 597 प्रदर्श 1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद कि गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा बाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत कि गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा हाने की बात को स्वीकार है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त कि है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त होने का शपथ पत्र एवं राजीनामा इबारत में समस्त का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 04.01.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी कि जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्र आदी व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी सख्या 5 राजपैरोकार को केवल परफौर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने आपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है, साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 04.01.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्य 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं रखा गया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा सोनेली के वादग्रस्त खेताय में सहखोदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चुकि वादग्रस्त खेताय में पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मुतदाविया खेताय में से कोइ भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमे अन्तरण का प्रतीत होता है अतः प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतित होता है एवं खाता संख्या 597 के खसरा नम्बर 497 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शैतानराम पुत्र मानाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 04 / 2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 5
औमप्रकाश बनाम शैतानराम वगैराह

—:: आदेश ::—

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली के खाता संख्या 597 के खसरा नम्बर 497 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शैतानराम पुत्र मानाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिए **प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07/01/2022

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद:– 04/2022

वादी–

1. औम प्रकाश बावरी पुत्र श्री शैतानराम जाति बावरी निवासी सोनेली तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. शैतानराम पुत्र मानाराम
2. सुरेश बावरी पुत्र शैतानराम
3. शारदा पुत्री शैतानराम
4. सुमित्रा बावरी पुत्री शैतानराम
   समस्त जातियान बावरी निवासी सोनेली तहसील जायल जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा प्रतिवादी 1 से 4 कि ओर से।
3. प्रतिवादी सं. 5 राजपैरोकार उपस्थित।

वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री रामप्रकाश बैन्दा व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली के खाता संख्या 597 के खसरा नम्बर 497 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शैतानराम पुत्र मानाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिए **प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 04/2022
जीसीएमएस नं. 2022/5
ओमप्रकाश बनाम शैतानराम वगैराह

तीज – **मुबलिग –** **बातत् –** खर्चा इस मुकद्दमें के मय व
भारह सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करे। बवक्त
मेरे दस्तखत व मुहर अदापलत क आज तारीख ....07/01/2022.... को जारी कि गई।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

07/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल